प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र श्री आशाराम, निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-20825/प्रो0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026(बै0-20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र श्री आशाराम, बरबसपुर, थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। दिनांक 19/20.08.2009 की रात्रि करीब 01 बजे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रून्जा को उकसा कर दोनों मिलकर आत्महत्या करने की नियत से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 324/2010 में भा0द0वि0 की धारा-306 के अंतर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01 सोनभद्र, के आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 23.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा 04 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की लगभग आयु 33 वर्ष (रजिस्ट्रर नं0-1 के अनुसार) है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नही किये जा सकने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने एवं बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 19/20.08.2009 की रात्रि करीब 01 बजे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रून्जा को उकसा कर दोनों मिलकर आत्महत्या करने की नियत से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी. जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र आशाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द (बन्दी संख्या-544/2022) पुत्र श्री आशाराम, निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1588/2026/1078/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1588/2026/1078/22-2-2026-17(502)/2026

दिनांक 06 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र श्री आशाराम, बरबसपुर, थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। दिनांक 19/20.08.2009 की रात्रि करीब 01 बजे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रून्जा को उकसा कर दोनों मिलकर आत्महत्या करने की नियत से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 324/2010 में भा0द0वि0 की धारा-306 के अंतर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01 सोनभद्र, के आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 23.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा 04 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की लगभग आयु 33 वर्ष (रजिस्ट्रर नं0-1 के अनुसार) है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नही किये जा सकने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने एवं बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 19/20.08.2009 की रात्रि करीब 01 बजे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रून्जा को उकसा कर दोनों मिलकर आत्महत्या करने की नियत से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी. जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र आशाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in